



बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,

सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2021–23 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



प्रमाण पत्र का प्रारूप–1

(विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा स्त्री के लिए प्रमाण पत्र)

- (अ) प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमतीएक
विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला है। उनके पति श्री/स्वर्गीय
.....की मृत्यु /सम्बन्ध विच्छेद अभिलेखों के अनुसार दिनांक
... को हुई है।

दिनांक : तहसीलदार के हस्ताक्षर एवं मोहर
अधिकारी का नाम

- (ब) तलाकशुदा स्त्री के लिये न्यायालय से तलाक स्वीकृत होने सम्बन्धित न्यायालय के
निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि का संलग्न करना अनिवार्य है।
- (स) परित्यक्ता महिला के लिये न्यायिक अलगाव तथा निर्वाह भत्ते के लिए न्यायालय में दी गयी
अर्जी तथा न्यायालय द्वारा उस पर की गयी कार्यवाही की न्यायालय से प्राप्त प्रमाणित प्रतिलिपि
संलग्न करना अनिवार्य है।
- (द) विधवा अभ्यर्थी के लिए पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य
है।

बी.एड. (द्विवर्षीय) 2021–23 से सम्बन्धित किसी भी वाद का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।

Applicants are advised to keep visiting the University of Lucknow website www.lkouniv.ac.in regularly for updates
आवेदकों को सलाह दी जाती है की वे अपडेट के लिए नियमित रूप से लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.lkouniv.ac.in देखते रहें।